



बीमती रेणुका पाटेल
मानवोंपर संवेदी
कृषि, परिवालन एवं सहकारिता
विभाग, भारत



कृषि, परिवालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड



बी हेमन्त कुरुक्षेत्र
मानवोंपर संवेदी
भारत

किसान समृद्धि योजना

मार्गनिर्देशिका

पर्यावरण असतुलन तथा जलवायु में जीवाश्म ईधनों के योगदान के अवाञ्छित प्रभाव को देखते हुए, वैशिक स्तर पर, जीवाश्म ईधन के स्थान पर उर्जा के नवीकरणीय वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक करने के लिये प्रतिबद्ध है। झारखण्ड सरकार भी राष्ट्रीय प्राथमिकता में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवाश्म ईधन के स्थान पर सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘किसान समृद्धि योजना’ झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म ईधन आधारित ऊर्जा स्रोत के स्थान पर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाईयों की स्थापना देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करके झारखण्ड को कृषि प्रतिस्पर्धी बनायेगी तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी।

योजना का उद्देश्य

	उत्तानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि करना।
	कृषि में सिंचाई लागत को कम कर कृषि उत्पादन लागत को कम करना।
	टिकाऊ तथा भरोसेमंद सिंचाई प्रणाली की स्थापना के माध्यम से लघु एवं जीमात किसानों को सालोमर सिंचित खेती के लिए प्रेरित करना।
	स्थानीय स्तर पर सालोमर उच्च प्रोप्रण युक्त खात पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना।
	कृषि बैंक में स्थानीय स्तर पर सालोमर रोजगार युजन कर प्राप्ति को बढ़ाना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- यह योजना राज्य के सभी 24 ज़िलों में चलाई जायेगी।
- यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुओं, नदी, बरसना, तालाब, चक डैम इत्यादि) से जल उत्पाद में उपयोगी है।
- इस योजना के अन्तर्गत दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना / वितरण का प्रावधान है।
 - ◆ 5HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उत्पाद सिंचाई इकाई।
 - ◆ 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलत सिंचाई इकाई।
- योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी एवं 10 प्रतिशत अशदान लाभुकों द्वारा दिया जायगा।
- योजना के अन्तर्गत लाभुकों का चयन ऑमलाईन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
- इस योजना के अन्तर्गत स्थापित / वितरित सिंचाई इकाईयों की कम से कम 5 वर्षों तक रख रखाव तथा मरम्मत की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- आपूर्तिकर्ता की जबाबदेही है कि वह प्रत्येक सोलर सिंचाई इकाई में GPS अधिष्ठापित बरते हुए प्रणाली आपूर्ति करेग एवं मुख्यालय स्तर पर GPS Monitoring हेतु Software/Dashboard उपलब्ध कराएग।
- औदी, तृफान, चक्रवात इत्यादि तथा घोरी के विलक्षण पम्प सेट के लिए 5 वर्षों तक ग्रीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। सोलर पैनल पम्पसेट की वारटी MNRE के मापदण्ड के अनुसार होगी।
- सभी तरह के बाटों, तकनीकी मंटनेस, घोरी, यांत्रिक मंटनेस इत्यादि आपूर्तिकर्ता के दर के अन्तर्गत समिलित रहेगी।
- GPS अधिष्ठापन सहित सोलर चालित सिंचाई इकाई के रखरखाव, मरम्मत कार्य एवं 5 वर्षों तक ग्रीमा सुरक्षा पर होने वाले व्यय के लिए आपूर्तिकर्ता के दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा।
- लाभुकों द्वारा इकाई के परिचालन तथा रख रखाव का प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाएगा।
- इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

इस योजना के तहत व्यवितरित लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जायगा। समूठ की स्थिति में समूठ के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।

किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट इकाई की मुख्य विशेषताएँ

5 HP सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित उद्धव सिंचाई इकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, बड़े बड़े जैसे जलस्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 5 HP क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित छोटे उद्धव सिंचाई इकाई स्थापित किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 05 एकड़ टोंगी। इस उद्धव सिंचाई इकाईयों की स्थापना एकल / सामूहिक इकाई के ऊपर में की जाएगी।



2 HP सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित चलत सिंचाई इकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, कूप जैसे जलस्रोत जहाँ सालोंभर घर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, पर 2 HP क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित चलत सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 01 एकड़ टोंगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाईयों द्वाली के ऊपर अवस्थित होगी और जो किसानों को व्यवितरित स्तर पर उपयोग के लिये प्रदान की जाएगी।

■ किसान/आवेदक की पत्रता तुं आवेदन की प्रक्रिया

- गृहण समूट/स्वयं सदायता समूट/FPO/FPC/Co-operatives की ओर से समूह/सम्पाद्यकारी समूट/सदायता के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक किसान/अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार राशन कार्ड का e-KYC दोगा।
- आवेदन में FPO/FPC/LAMPS/PACS के User Group लाभुकां की विवरणी दी जाएगी।
- किसान/समूट/सम्पाद्यकारी समूट/सदायता के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी की भूमि जल सात के पास में ही हो, अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

पत्रता

- व्यक्तिगत किसान/गृहण समूट/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य शेयर टॉल्डर—आरण्यण राज्य का स्थानीय होना चाहिए।
- गृहण समूट/महिला स्वयं सदायता समूट (ISLPS पंजीकृत)/FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय आरण्यण राज्य में होना चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर टॉल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर टॉल्डर के पास बैंध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होगे।
- किसान/परिवार/समूट के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
- आधार लिवड मोबाइल नम्बर होना चाहिए।
- आधार लिवड राशन कार्ड होना चाहिए।

■ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़

01. व्यक्तिगत किसान

- जमीन का मालगुजारी रसीद
- वशावली का सपथ पत्र/JRFY से अनुबंधित किसान।
- आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- बैंक पासप्रूफ का फोटो कॉपी
- आधार लिवड मोबाइल नम्बर

02. गृहण समूट/सदायता समूट/FPO/FPC/LAMPS/PACS

- संस्था पंजीकरण का प्रमाण—पत्र
- अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड तथा आधार लिवड मोबाइल नम्बर
- यूजर गुप्त का सदस्यों वा आधार कार्ड।
- जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है, उस भूमि का मालगुजारी रसीद।
- संस्था का बैंक खाता।

■ किसान लिंगिति श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे

1. बठड़दार किसान
2. अगर कोई किसान या परिवार में कोई संघानिक पद पर है
3. राज्य/केन्द्र सरकार के साथ—साथ पीएसट्यू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी
4. डॉक्टर, इंजीनीयर, Chartered Accountant आर्किटेक्टर्स और बैंकील जैसे ग्रोफेशनल्स।
5. सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर)
6. समूट/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य का अलग से आवेदन, अगर समूट आवेदन कर रहा है और सदस्य का भी नाम आवेदन में है।
7. अन्य किसी विभाग या संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आश्रित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा या स्वयं द्वारा पूर्व में ऐसी इकाई अधिष्ठापित की गयी हो।
8. काली तूंची में दर्ज किसान उत्पात्क समूट/किसान उत्पादक कम्पनी, सदकारी समिति इत्यादि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
9. PM-KUSUM या अन्य योजना के तहत इस तरह के लाभ लिए होंगे।

किसान समृद्धि योजना से लाभ :

- सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे विनुत ऊर्जा में बचत।
- सौर ऊर्जा से चलने के कारण इसे किसी भी नौसम में सिंचाई का प्रयोग कर खेती की जा सकती है।
- 2HP सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित चलत सिंचाई इकाई को किसी भी स्थान पर असानी से लेकर जाया जा सकता है।
- इसके रख-रखाव पर खर्च कम।



आवेदन पुर्वं लाभुक चयन

- पात्र आवेदक अपना आवेदन दिये गये आवेदन प्रपत्र (क, छ एवं ग) में सारी वाचित जानकारी भरेंगे।
- आवेदक आवेदन करने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कराना होगा।
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन तथा वाचित दस्तावेजों के साथ आवेदक वो अपने नजदीकी CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लैम्प्स / पैवस) या अन्य सेवा केन्द्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा आवेदक यो CSC द्वारा नियमित सेवा शुल्क का बहन करना होगा।
- CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लैम्प्स / पैवस) द्वारा आवेदकों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जायेगी तथा वाचित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदक अपना आधार तथा राशन कार्ड आधारित e-KYC करायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को रसीद / पंजीकरण संख्या प्रदान की जायेगी, जो कि भविष्य में Reference के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा होने के उपरान्त परियोजना निदेशक आत्मा (PIA) / जिला कृषि प्रबाधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की गठन जौच करेंगे तथा पात्र आवेदक सभी आवेदक को निदेशक, समेति को ऑनलाइन अनुमोदन कर अमर्सारित करेंगे।

प्रज्ञा केन्द्रों (Common Service Centres) / Banking Component/LAMPS / PACS (e-KYC सुविधा के लिए) की श्रृंगार

- किसानों को द्वार पर बेट्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना का लाभ करने के लिए प्रज्ञा केन्द्रों (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS की सेवाएं ली जायेगी।
- योजना द्वार पर उपलब्ध होगी और प्रज्ञा केन्द्रों (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि में भी उपलब्ध होगी।
- पात्र आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्र (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि में आएंगे।
- प्रज्ञा केन्द्र (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि आवेदक द्वारा e-KYC के लिए सुविधा की व्यवस्था करेंगे।
- आवेदन की प्रक्रिया में प्रज्ञा केन्द्र या अन्य को देय शुल्क का बहन आवेदक द्वारा किया जायेगा।

किसान कॉल सेंटर

1800-180-1551 / 1800-123-1136

मुख्यमंत्री किसान सहयोग कोषांग

0651-2490542 / 7632996429



राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड
द्वितीय तल, समेति भवन, कौकी रोड, रौची, झारखण्ड

Web : www.sameti.org, E-mail : sametijharkhand@rediffmail.com